

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला-सलुम्बर

प्रार्थी...श.उ.मा.वि.कांठ

विपक्षी-शरका

किस्म मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या-63/2025

दिनांक	
<u>08/07/25</u>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।</p> <p>प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा <u>कांठ</u> खाता संख्या <u>223 व 232</u> में प्रार्थी का नाम <u>राजकीय माध्यमिक विद्यालय</u> अंकित है जिसे संशोधित करा <u>राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय</u> अंकित किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>पटवारी हल्का <u>कांठ</u> भू.अ.निरीक्षक <u>शरका</u> से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का नाम <u>श. मा. वि.</u> निवासी <u>कांठ</u> के बजाय <u>श. उ. मा. वि.</u> संशोधित किया जाने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंसा अनुसार मौजा <u>कांठ</u> पटवार हल्का <u>कांठ</u> की खाता संख्या <u>223 व 232</u> में प्रार्थी का नाम <u>राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय</u> संशोधित किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p>




उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर
जिला-सलुम्बर